अदानी कोल ब्लॉक को लेकर हंगामा

- विपक्ष ने की विधानसभा की कमेटी से जांच की मांग
- मांग नहीं मानने पर विपक्ष ने किया वाकआउट

प्रश्नकाल में केवल एक प्रश्न ही हो सका

विधानसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 26 फरवरी. विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान जबर्दस्त हंगामा हुआ. विपक्ष ने सिंगरौली के धिरौली कोयला परियोजना जिसका टेंडर अदानी को मिला है, उस परियोजना में अनियमितता का मामला प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उठाया.

इस प्रश्न पर लंबी बहस हुई. विपक्षी सदस्यों ने इस दौरान इस परियोजना में गड़बड़ी की जांच के लिए विधायकों की संयुक्त जांच कमेटी गठित करने की मांग की, लेकिन मंत्री ने इस तरह की कमेटी से जांच कराने का भरोसा नहीं दिया. इस कारण सदन में लगातार गतिरोध की स्थिति बनी रही.

जिसके चलते प्रश्नकाल में सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करना पड़ा, प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद भी विपक्ष ने इस मामले को लेकर कड़े तेवर दिखाए, लेकिन सरकार अपने रूख पर अडिग रही, बाद में विपक्ष ने सरकार के रवैये से नाराज होकर वाकआउट कर दिया. विपक्ष के हंगामें के कारण बजट सत्र में पहली बार प्रश्नकाल में केवल एक ही प्रश्न हो सका. प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने सवाल किया कि धिरौली परियोजना के लिए कुल 2672 हेक्टयर जमीन के अधिग्रहण के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत कितनी भूमि के लिए अधिसूचना जारी की गई.

> अधिग्रहित सरकारी और निजी भूमि का भी ब्यौरा मांगा, ये भी जानना चाहा कि अब तक कितने लोगों को कितना मुआवजा दिया गया है. राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने संशोधित जवाब दिया, पहले प्रश्नत्तरी में लिखित जवाब में बताया कि परियोजना के लिए 8 गांवों की निजी भूमि जिसका रकबा 554.01 हेक्टेयर ओर शासकीय गैर वन भूमि 681.80 हेक्टेयर, वन भूमि 1335.35 हेक्टेयर और राजस्व वन भूमि 62.19 हेक्टेयर सहित कुल परियोजना से 2672 हेक्टेयर कुल रकबा प्रस्तावित है.

विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसंदी के पास पहुंचे

यह भी बताया कि निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए 504 करोड़ 37 लाख 26 हजार 331 रुपए की अवार्ड राशि पारित किया गया है. लेकिन बाद में संशोधित जवाब में उन्होंने अवार्ड की राशि 368 करोड़ 11 लाख 12 हजार 118 करोड़ रुपए कर दिया. इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया. नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि रातभर में ही ऐसा क्या हो गया कि अवार्ड की राशि को 150 करोड़ रुपए कम कर दिया गया. उन्होंने कहा कि आदिवासी किसानों को 50 लाख रुपए देने की बात कही थी, लेकिन उनको महज ढाई लाख रुपए ही दिए जा रहे हैं. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बाहरी लोगों को यहां भरपूर पैसे दिये जा रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरई थाने के थाना प्रभारी जितेन्द्र भदौरिया की पत्नी प्रियंका सिंह को 15 लाख 94 हजार 989 रुपए दिए गए हैं, जिससे कि वे अदानी को संरक्षण दे सकें. इसी तरह दीपेन्द्र सिंह कुशवाह यातायात प्रभारी को अदानी के ट्रकों की आवाजाही कराने के लिए उनकी पत्नी स्वाति सिंह को 14 लाख 83 हजार 442 रुपए का अवार्ड पारित किया गया. ये भिंड के रहने वाले हैं, आदिवासी नहीं है. उन्होंने कहा कि बाकी 3 गांव के लोगों को भी बिना पुनर्वास के ही हटाया जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष का साथ विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी दिया. इस बीच राजस्व मंत्री ने मामलों की जांच कराने का भरोसा भी दिया. विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने भी व्यवस्था देते हुए कहा कि अभी 8 में से 5 गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई है, बाकी की अभी जरुरत नहीं है. प्रभावितों को समय पर मुआवजा मिल जाए, ये सुश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है. जो जमीन अधिग्रहित नहीं की गई, क्या उनमें खनन हो रहा है, इसे लेकर जांच का भरोसा मंत्री ने दिया है. इस बीच विपक्षी सदस्य सीटों पर खड़े हो गए और नारेबाजी करते हुए आसंदी के सामने आ गए. नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा की जांच कमेटी गठित कर मामले की जांच कराने की मांग की. उनका साथ हेमंत कटारे ने भी दिया. उन्होंने जेपीसी की मांग की. इस बीच सदन में शोरगुल की स्थिति बन गई. जिसके चलते अध्यक्ष तोमर ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी. सदन दोबारा समवेत होने पर भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, विपक्षी सदस्य एक बार फिर मांगों को लेकर आसंदी के सामने जाकर नारेबाजी करने लगे. विपक्ष के भंवर सिंह शेखावत ने भी ज्वाइंट कमेटी से जांच कराने की मांग की. अध्यक्ष ने एक बार फिर विपक्षी सदस्यों को समझाईश दी, जिसका कोई असर नहीं हुआ, आखिरकार अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दूसरी बार दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. शून्यकाल में विपक्ष ने तीसरी बार ये मामला उठाया, लेकिन मंत्री वर्मा अपने रूख पर अड़े रहे. जब मंत्री ने मांग स्वीकार नहीं की तो फिर विपक्ष ने वाकआउट कर दिया.

महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाने का आह्वान

विशेष संवाददाता

भोपाल,26 फरवरी. प्रदेश कांग्रेस के राजीव गांधी सभागार में कांग्रेस विचार विभाग द्वारा आयोजित बौद्धिक विमर्श में वक्ताओं ने महात्मा गांधी के आदर्शों और उनकी समकालीन प्रासंगिकता पर विस्तार से विचार रखे.

कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणियाँ भी सामने आईं. प्रख्यात पत्रकार पंकज चतुर्वेदी ने 'गांधी के राम' की व्याख्या करते हुए कहा कि गांधी का राम समावेशिता और सामाजिक न्याय का प्रतीक था.

उन्होंने कहा कि गांधी की अवधारणा में राम दलितों, वंचितों और आदिवासी समुदायों को अपनी शक्ति में पिरोने वाले थे, जो समाज में पीछे छूट गए लोगों को उठाने वाले पतित पावन थे. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राम को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है और इस प्रक्रिया में राम की स्थापित मर्यादाओं को कमजोर किया जा रहा है.चतुर्वेदी ने गांधी की सादगी की तुलना वर्तमान शासन शैली से करते हुए कहा कि गांधी ने वर्धा में मात्र 100 रुपये में सेवा कुटी बनाकर देश की सेवा की और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

> प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जब तक गांधी के विचार जीवित हैं, तब तक नाथूराम गोडसे की विचारधारा पनप नहीं सकती. उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी की हत्या के बाद भी प्रतीकात्मक रूप से उन्हें बार-बार समाप्त करने की कोशिश की गई, किंतु गांधी के विचार आज भी जीवित हैं और अनंत काल तक जीवित रहेंगे. प्रदेश कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भारत की प्राचीन सभ्यता का उल्लेख करते हुए कहा कि हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता वाले देश की पितृभूमि किसी अपेक्षाकृत नए राष्ट्र को बताने का प्रयास उचित नहीं है.

आजाद को श्रद्धांजलि देंगे मोहन यादव

भोपाल, 26 फरवरी.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के 95वें शहादत दिवस पर आलीराजपुर के चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा) में शुक्रवार 27 फरवरी को आजाद स्मृति मंदिर पहुंचकर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

इसके बाद मण्डी प्रांगण, चन्द्रशेखर आजाद नगर में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करेंगे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्यप्रदेश के भाबरा में हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय साहस और त्याग का परिचय दिया। दिनांक 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज (इलाहाबाद) के अल्फ्रेड पार्क में एक व्यक्ति द्वारा किये गये विश्वासघात के कारण पुलिस से घिर जाने पर उन्होंने वीरतापूर्वक मुकाबला किया और अंतिम क्षण तक संघर्ष करते हुए अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार न होने का संकल्प को पूर्ण कर अपना बलिदान दे दिया। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति, साहस और आत्मसम्मान का प्रेरणास्त्रोत है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा) में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण करेंगे.

वे 79.92 करोड़ रुपये लागत के 14 कार्यों का लोकार्पण तथा 119.02 करोड़ रुपये लागत के 35 कार्यों का भूमि-पूजन करेंगे। क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी.

प्रदेश कांग्रेस में बनेंगे 20 प्रवक्ता, चयन प्रक्रिया शुरू

वीरेंद्र वर्मा, इंदौर,26 फरवरी. प्रदेश कांग्रेस में अब प्रवक्ताओं की नियुक्ति सीधे नहीं हो सकेगी. एआईसीसी द्वारा टेलेंट हंट प्रक्रिया के तहत प्रवक्ताओं का चयन किया जाएगा. इसके लिए कांग्रेस की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

प्रवक्ता बनने के लिए आवेदन करने की शुरुआत 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है. एक महीने बाद प्रवक्ताओं के साक्षात्कार होंगे. उसमें से श्रेष्ठ का चयन कर दिल्ली से ही घोषणा की जाएगी. मध्यप्रदेश कांग्रेस में नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति अब टेलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए होगी. इसके लिए एआईसीसी ने चयन हेतु कमेटी गठित की है. उक्त कमेटी में एआईसीसी के महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश, मीडिया एवं पब्लिसिटी प्रमुख पवन खेड़ा , सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत, संचार सचिव रचीरा चतुर्वेदी और विनीत पुनिया द्वारा आवेदकों से साक्षात्कार लिए जाएंगे. ध्यान रहे कि एआईसीसी के टैलेंट हंट प्रोग्राम के शुरू होने से प्रदेश कांग्रेस द्वारा सभी प्रवक्ताओं को कार्यमुक्त करने के आदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने जारी किए थे. इंदौर से नौ कांग्रेस नेता को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई थी.

नई टेलेंट हंट प्रक्रिया में एआईसीसी द्वारा प्रदेश में एक मुख्य समन्वयक, दो उप समन्वयक के साथ 20 प्रवक्ताओं का चयन किया जाएगा. खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस अंग्रेजी का अलग प्रवक्ता चयन करेगी. साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में प्रदेश के मुद्दों को लेकर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का भी चयन किया जाएगा. प्रदेश के मंडल और जिला में दो - दो प्रवक्ता भी बनाए जाएंगे.

मादक पदार्थों के मामले में जीतू चिंतित

विशेष संवाददाता

भोपाल,26 फरवरी. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में लगातार हो रही मादक पदार्थों, विशेषकर एमडी/एमडीएमए (सिंथेटिक ड्रग्स) की बरामदगियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है.

पार्टी ने आरोप लगाया है कि युवाओं को निशाना बनाकर संगठित तस्करी नेटवर्क सक्रिय है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पाटवारी ने कहा कि 26 फरवरी को मंदसौर में एक किराए के मकान से एमडी ड्रग्स बनाने में प्रयुक्त 1,886 किलोग्राम रसायन की बरामदगी अत्यंत चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में केमिकल का मिलना इस बात का संकेत है कि प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग्स का उत्पादन और आपूर्ति तंत्र गहराई तक फैला हुआ है. उन्होंने इंदौर, भोपाल, उज्जैन-नीमच और ग्वालियर-चंबल अंचल में सामने आए मामलों का उल्लेख करते हुए अंतरराज्यीय कनेक्शन और बड़े पैमाने पर सप्लाई की आशंका जताई.

> पाटवारी ने भाजपा सरकार पर नशे के बढ़ते कारोबार को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया तथा राजनीतिक संरक्षण का भी दावा किया.उन्होंने पूरे मामले की समयबद्ध उच्चस्तरीय जांच, मुख्य सरगनाओं की तत्काल गिरफ्तारी, प्रदेश स्तर पर विशेष एंटी-सिंथेटिक ड्रग्स टास्क फोर्स के गठन और स्कूल-कॉलेज स्तर पर जागरूकता व पुनर्वास अभियान चलाने की मांग की.

पेज एक का शेष

मप्र में निवेश हर मायने में फायदे का सौदा

दिशा देने का एक साझा मंच है. भीलवाड़ा की समृद्ध वस्त्र विरासत से जुड़कर मप्र भी अनेकानेक संभावनाओं को तलाश कर बढ़ते हुए राजस्थान के साथ अपनी दीर्घकालिक भागीदारी करना चाहता है. हम सब मिलकर अपनी वणिक युक्ति, बुद्धि और क्षमता से इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास का नया अध्याय लिखेंगे. मप्र राजस्थान का सहोदर जैसा रिश्ता: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि लंबे समय से मप्र और राजस्थान का सहोदर जैसा रिश्ता रहा है. दोनों राज्यों में सदैव व्यापार की अनुकूलता रही है. पद्म विभूषण से राजस्थान के सम्मानित स्व. घनश्याम दास बिड़ला ने उज्जैन जिले के नागदा में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना की थी. राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ के कारोबारियों में व्यापार-व्यवसाय की कुशलता अद्भुत है. मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ सालों से लंबित पार्वती-कालीसिंध-चंबल पीकेसी परियोजना पर समझौता कर दोनों राज्यों के नागरिकों को सुगम जल उपलब्धता की एक नई सौगात दी है. दुनिया के देश चुनौतियों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं. अगर कोई देश प्रतिबंध लगाएगा, तो हम दूसरा रास्ता निकालेंगे. यूरोप के साथ टैक्सटाइल ट्रेड एण्ड बिजनेस को आगे बढ़ाने की अच्छी संभावनाएं हैं.

आपसी समझौता पत्र

रामकरण प्रसाद साकेत उर्फ रामकरन पिता स्व. रामऔतार उर्फ औतार साकेत उम्र-71 वर्ष, एवं 25 अन्य निवासी ग्राम देवरा पोस्ट पचौर थाना बैढ़न तहसील व जिला-सिंगरौली (म.प्र.) 486886 आधार नं. 2106 1845 7447

..........**प्रथमपक्षगण/इकरारकर्तागण**

मे. एक्सेस बिल्डर्स इन्डस्ट्रीज पता प्लाट नं. 341 ग्राम-गनियारी पोस्ट व थाना-बैढ़न तहसील-सिंगरौली (नगर) जिला-सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा भागीदार (1) छोटेलाल शाह पिता स्व. कंचन प्रसाद शाह उम्र-49 वर्ष निवासी ग्राम-गनियारी पोस्ट-बैढ़न, तहसील व जिला-सिंगरौली (म.प्र.) व भागीदार (2) राजेश कुमार साकेत पिता श्री रामकिशुन साकेत उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम-भॉड़ी, पोस्ट-खुटार, जिला-सिंगरौली (म.प्र.) रजि. नं. 05/49/01/0162/18

.... **द्वितीयपक्ष/इकरारग्रहिता**

आज दिनांक 22.02.2026 को यह आपसी समझौता पत्र हम उभयपक्षों के मध्य निष्पादित कराया जा रहा है:- (1) यह कि हम उभयपक्ष उपरोक्त पते के निवासी होकर एक दूसरे को भली-भाति जानते व पहचानते है। (2) यह कि मे. एक्सेस बिल्डर्स इन्डस्ट्रीज, पता प्लाट नं. 341 ग्राम-गनियारी पोस्ट व थाना-बैढ़न तहसील-सिंगरौली (नगर) जिला-सिंगरौली (म.प्र.) नामक फर्म के भागीदार द्वितीयपक्षगण है। (3) यह कि भूमि आ.नं. 244/1 रकवा 1.3390 हे. स्थित ग्राम-देवरा तहसील सिंगरौली (नगर), जिला-सिंगरौली (म.प्र.) की भूमि है जिसके भूमिस्वामी प्रथमपक्षगण राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख रहे है। (4) यह कि दिनांक 13.12.2018 को उक्त भूमि का अंश रकवा 0.9390 हे. भूमि को प्रथमपक्षगण द्वारा द्वितीयपक्ष के उक्त मे. एक्सेस बिल्डर्स इन्डस्ट्रीज पता प्लाट नं. 341 ग्राम-गनियारी पोस्ट व थाना-बैढ़न तहसील-सिंगरौली (नगर) जिला-सिंगरौली (म.प्र.) के नाम पंजीयन रजिस्ट्री करा दिया गया है। (5) यह कि द्वितीयपक्ष के भागीदार राजेश कुमार साकेत द्वारा प्रथमपक्षगण व 25 अन्य एवं द्वितीयपक्ष के भागीदार छोटेलाल शाह के सहमति एवं राजामन्दी से दिनांक 10.02.2026 को श्रीमान न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश महोदय वरिष्ठ खण्ड बैढ़न के समक्ष उपस्थित होकर दावा वापस राजेश कुमार साकेत द्वारा लिया गया है एवं जबरन अवैध रजिस्ट्री दिनांक 31.03. 2024 के सम्बन्ध में दिनांक 19.02.2026 को एक्सेस वीडर्स से आपसी समझौता कराया गया है जबकि भूमि मे. एक्सेस विल्डर्स इन्डस्ट्रीज को दिया गया है। रामकरण प्रसाद साकेत, लाले साकेत एवं जवाहरलाल साकेत वगैरह, कई जगह द्वितीयपक्षगण के छोटेलाल शाह, राजेश कुमार साकेत द्वारा एक दूसरे के खिलाफ थाना प्रभारी महोदय बैढ़न, श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय सिंगरौली, श्रीमान् कलेक्टर महोदय एवं अन्य जगह शिकायत किया गया है जिसमें आज दिनांक को समझौता पत्र निष्पादित कराया जा रहा है जिसमें आज दिनांक को समझौता पत्र निष्पादित कराया जा रहा है, क्योंकि शेष सम्पूर्ण राशि आज दिनांक को फर्म/नगद/अन्य खातों से प्रथमपक्षगण प्राप्त कर रहे है, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नही चाहते है। विषयांकित सम्पूर्ण भूमि में से छोटेलाल शाह द्वारा दिनांक 31.03.2024 को दिलीप कुमार शाह पिता स्व. राममिलन शाह निवासी ग्राम-बिलौंजी को फर्म की भूमि को अवैध तरीके से दबाव बनाकर रजिस्ट्री कराया गया था उक्त रजिस्ट्री के सम्बन्ध में विचाराधीन प्रकरण क्र. RCSA 190/2024 न्यायालय श्रीमान न्यायाधीश महोदय वरिष्ठ खण्ड बैढ़न जिला-सिंगरौली (म.प्र)के प्रकरण में उक्त राजेश कुमार साकेत को दिलीप कुमार शाह के रजिस्ट्री में समझौता पत्र प्रथमपक्षगण एवं छोटेलाल शाह द्वारा डरा धमकाकर गलत तरीके से दिलीप कुमार शाह के सहयोग से दिनांक 19.02.2026 को समझौता कराया गया है कि भागिता विलेख संशोधनों एवं समाचार पत्रों के आधार पर सम्पूर्ण हिस्सा उक्त राजेश कुमार साकेत को प्राप्त होगा क्योंकि उक्त रजिस्ट्री दिनांक 31.03.2024 में अवैध रजिस्ट्री छोटेलाल शाह से धोखाधड़ी कर जबरजस्ती भागिता विलेख संशोधन दिनांक 27.03.2023 का उल्लंघन कर फर्म का कोई भी दस्तावेज न लगाकर व राजेश कुमार साकेत का भी हस्ताक्षर एवं दस्तावेज नही लगा है इसलिए भागीदार राजेश कुमार साकेत का हक हिस्सा फर्म की चल अचल सम्पत्ति में सुरक्षित है। भागिता विलेख संशोधनों के हिसाब से द्वितीयपक्ष के भागीदारगण भूमि पर काविज कास्त कर सकते हैं जिसमें प्रथमपक्षगण का एवं प्रथमपक्षगण के परिवार का सम्पूर्ण सहयोग रहेगा और प्रथमपक्षगण के अन्य में से बुद्धिमान शाह एवं रिचकी शाह का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। (6) यह कि प्रथमपक्षगण के चिंतामणि साकेत पिता शम्भू साकेत, सोनिया पत्नी सम्भू साकेत, त्रिवेणी पिता शम्भू साकेत, गुलाब पिता शेषमन साकेत, सभी ग्राम-देवरा वगैरह का विषयांकित प्रकरण RCSA 190/2024 में दिलीप कुमार शाह पिता राममिलन शाह, निवासी ग्राम-बिलौंजी द्वारा आदेश 39 नियम 1 (2) सी. पी.सी. के जवाब दिनांक 17.01.2025 के अनुसार चेकों के अनुसार अदायगी किये जाने का उल्लेख किया गया है, के सम्बन्ध में झूठा शपथ पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, यह जानकारी मौखिक चिंतामणि साकेत वगैरह द्वारा बताये जाने पर जिसका विरोध कर आपत्ति न्यायालय श्रीमान् व्यवहार न्यायाधीश महोदय, कनिष्ठ खण्ड बैढ़न, जिला सिंगरौली म.प्र. के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर राजेश कुमार साकेत द्वारा दिया गया है। चिंतामणि साकेत वगैरह का मूल चेक लेकर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिलीप कुमार शाह द्वारा दबाव बनाने लगे की द्वितीयपक्ष को बुलाकर न्यायालय में अवैध रजिस्ट्री दिनांक 31.03.2024 में समझौता कराओ अगर द्वितीयपक्ष समझौता न करें तो फर्जी केश में फसाओं, डराओ धमकाओं इसके बाद वहीं न्यायालय में समझौता कर सम्पूर्ण राशि दिनांक 11.04.2024 में वर्णित राशि को न्यायालय में ही दूंगा। उक्त के सम्बन्ध में दिलीप कुमार शाह एवं छोटेलाल शाह द्वारा समझौता कर रजिस्ट्री में दर्ज राशि को दिया गया है, जबकि भूमि 50 लाख रूपये में विक्रय किया गया है। प्रथमपक्षगण के चिंतामणि साकेत वगैरह का मूल चेक न्यायालय में जमा है के सम्बन्ध में बकाया शेष राशि मूल चेक के पीछे लिखा गया है। उक्त मूल चेक आज दिनांक से निरस्त माना जायेगा एवं जिसमें चिंतामणि साकेत वगैरह द्वारा भविष्य में कोई भी दावा आपत्ति नही किया जायेगा अगर किया भी जाता है तो झूठा व अमान्य होगा। क्योंकि उसके बदले अन्य चेक चिंतामणि साकेत वगैरह प्राप्त कर रहे है। (7) यह कि उक्त दिलीप कुमार शाह के उक्त रजिस्ट्री में कानूनी कार्यवाही हेतु कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिये उक्त रजिस्ट्री दिनांक 31.03.2024 में जो समझौता पत्र/शपथ पत्र उक्त राजेश कुमार साकेत द्वारा उक्त छोटेलाल शाह के खाते में राशि प्राप्त हो रही है के सम्बन्ध में निष्पादित कराया जा रहा है उसमें उक्त राजेश कुमार साकेत का कोई भी हक व हिस्सा प्रभावित नहीं हो रहा है जिस बावत उक्त रामकरण प्रसाद साकेत व 25 अन्य, छोटेलाल शाह एवं राजेश कुमार साकेत के मध्य आपसी समझौता पत्रों दिनांक 18.01.2024, 27.02.2024, 11.04.2024, 14.10.2025, 15.01.2026 एवं अन्य का निष्पादन कराया जाकर समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया है जो सही एवं सत्य है। उक्त फर्म की नगद राशि के खिलाफ रामसकल शाह के खिलाफ चेक बाउन्स का केश न्यायालय किया गया था उक्त नगद राशि को न्यायालय को रामसकल शाह पिता स्व. कालीचरण साहू से प्राप्त कर छोटेलाल शाह समझौता कर दिनांक 25.02.2026 को विचाराधीन चेक बाउन्स का केश वापस कर नगद राशि प्राप्त कर पत्नी के खाते में नगद जमा किया गया है, जिसको फर्म के खाते में ट्रांसफर कर प्रथमपक्षगण को दिया जायेगा। (8) यह कि हम उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार की अप्रिय घटना कारित हो जाती है तो उस स्थिति में हम उभयपक्ष के वारिसों को यह विलेख बंधनकारी होगा। उक्त समझौता पत्र रजिस्ट्री दिनांक 13.12.2018 का अंश माना जायेगा। (9) यह कि हम उभयपक्षों को उक्त इकरारनामा विलेख में वर्णित उपरोक्त सभी शर्ते बंधनकारी होगा, किसी भी पक्ष द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लेघन किया जाता है तो पिड़ित पक्षकार इस विलेख के जरिये कानूनी कार्यवाही करते हुये न्याय प्राप्त कर सकेगा जिसमें उभयपक्ष को कोई भी आपत्ति नहीं है न भविष्य में होगी यदि उभयपक्ष द्वारा कोई भी आपत्ति किया जाता है तो वह झूठा व अमान्य होगा। लिहाजा यह आपसी समझौता पत्र हम उभयपक्ष अपने-अपने शुद्ध चित्त एवं बुद्धि से दो भले गवाहों के समक्ष लिखा दिये कि प्रमाण रहे वक्त पर काम आवे।

दिनांक 26.02.2026

ह.प्र.................... **ह.द्वि....................**

नाम सुधार सूचना

मै रंजीत वर्मा पिता श्री सूरजदीन वर्मा उम्र-55 साल निवासी 49 जी वार्ड नंबर 04 बडी बर्ती ग्राम वर्ती जिला सतना म.प्र. का निवासी होकर बहलफ सूचित कर रहा हूं कि मैने एलआईसी की एक पालिसी ले रखी है जिसका पालिसी नं. 357586265 है जिसमें मेरा घरेलू नाम गोपी वर्मा दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम रंजीत वर्मा है जो मेरे बैंक खाते आदि में दर्ज है, रंजीत वर्मा और गोपी वर्मा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के यानी मेरे ही हैं अलग-अलग नहीं है. अत: मेरे पालिसी में दर्ज नाम गोपी वर्मा के स्थान पर सही नाम रंजीत वर्मा दर्ज किया जाए जो सत्य एवं सही है.

कार्यालय जनपद पंचायत रामनगर जिला मैहर म0प्र0

E-mail:-jpramsat-mp@nic.in

क्र./ज.पं/मु.क.वि./2025-26/2005 रामनगर, दिनाँक 26.2.26

(निविदा-विज्ञप्ति)

जनपद पंचायत रामनगर जिला मैहर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 हेतु कन्याओ के सामूहिक विवाह आयोजन हेतु टेंट एवं भोजन सामग्री की दरो का निर्धारण किया जाना हैं। उक्त टेन्ट एवं भोजन सामग्री की निविदा प्रपत्र दिनांक 27/02/2026 से 05/03/2026 सायं 04.00 बजे तक कार्यालय जनपद पंचायत रामनगर जिला मैहर में जमा किये जा सकेगें। निविदा दिनांक 06/03/2026 को समय दोपहर 1.00 बजे निविदा कर्ताओ एवं उनके प्रतिनिधि के समक्ष जनपद स्तरीय क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी। निविदा 02 प्रथक-प्रथक लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव (मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना हेतु व सम्बन्धित फर्म का नाम एवं पता लिखा हों) जमा करनी होगी। टेन्ट एवं भोजन सामग्री हेतु प्रथक-प्रथक निविदा प्रस्तुत करनी होगी निविदा प्रपत्र में तकनीकी प्रस्ताव के साथ अमानत राशि रुपये 10000.00 (दस हजार रुपये मात्र) का एफडीआर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामनगर जिला मैहर के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा जो सतना / मैहर स्थित राष्ट्रीकृत बैंको में भुगतान योग्य हो। निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 1000.00 (एक हजार रुपये मात्र) टेन्ट एवं भोजन सामग्री पृथक-पृथक देय होगा।

प्रदाय की जाने वाली टेंट सामग्री की सूची, मात्रा एवं अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय जनपद पंचायत रामनगर से प्राप्त की जा सकेंगी व अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा प्रकाशन दिनांक से सभी कार्यालयीन दिवसो में प्राप्त की जा सकती हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत रामनगर, जिला मैहर (म0प्र0)

नाम परिवर्तन सूचना

मै घोषणा करती हूँ कि मेरे पासपोर्ट मे मेरा नाम JASLEEN KAUR VIRDI था जिसे मै बदल कर अब अपना नया (सही) नाम JASLEEN KAUR D/O GURDEV SINGH VIRDI कर लिया है कृपया अब से मुझे नये नाम JASLEEN KAUR D/O GURDEV SINGH VIRDI के नाम से जाना एवं पहचाना एवं संबोधित किया जाय एवं आगे के सभी दस्तावेजों में दर्ज किया जाय तथा मेरे निवास का पता- A/F 17 BIRLA COLONY, SATNA CEMENT WORKS, PO.SATNA, BIRLA VIKAS, RAGHURAJNAGAR, DISTRICT SATNA (M.P.) है।

नाम परिवर्तन सूचना

मै घोषणा करता हूँ कि मेरे पासपोर्ट मे मेरा Given Name(s) DAKSH GARG था जिसे मैं बदल (सुधार) कर अब अपना नया (सही) नाम Given Name(s) DAKSH Surname GARG कर लिया है कृपया अब से मुझे नये नाम Given Name(s) DAKSH Surname GARG S/O ANIL KUMAR GARG के नाम से जाना एवं पहचाना एवं संबोधित किया जाय एवं आगे के सभी दस्तावेजों में दर्ज किया जाय तथा मेरे निवास का पता- NEAR PEEPAL TREE GALI NO. 04 DHAWARI, PO SATNA RAGHURAJNAGAR DISTRICT SATNA (M.P.) है।

सार्वजनिक सूचना (सावधान)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम बमूरी, जिला सीधी के खसरा नंबर 27 एवं 36 की भूमि पर माननीय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश सीधी के आदेश (RCSA/187A/2017) एवं निष्पादन प्रकरण (EXA/09/2022) के तहत श्री वासुदेव राम का शांतिपूर्ण आधिपत्य (Possession) प्रमाणित है।

माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को शाश्वत निषेधाज्ञा (Stay/Injunction) से प्रतिबंधित किया गया है कि वे आवेदक के कब्जे में हस्तक्षेप न करें। वर्तमान में उक्त भूमि का विवाद माननीय उच्च न्यायालय (High Court) में भी विचाराधीन है।

अतः कोई भी व्यक्ति इस भूमि का क्रय-विक्रय, गिरवी या अन्य कोई सौदा न करे। जो भी व्यक्ति इन न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करेगा, वह स्वयं जिम्मेदार होगा और उसके विरुद्ध न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) की सख्त कार्यवाही की जाएगी।

सूचनाकर्ता
वासुदेव राम (पुत्रः स्व.रमाकान्त राम)
निवासीः ग्राम बमूरी, जिला सीधी (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा

पता- आजाद भवन टाउन हॉल खंडवा, 450001 दूरभाष-0733 2223523

ईमेल- commkhanndwa@mpurban.gov.in

क्रमांक / भण्डार / 202 / 339 खण्डवा दिनांक 10/02/2026

वार्षिक निविदा विज्ञप्ति

संबंधित क्षेत्र के सामग्री प्रदाताओं से निम्नलिखित सामग्री प्रदाय के लिए ई-निविदा प्रकिया में माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती है। विस्तृत, कार्य से संबंधित समस्त अर्हताए एवं आवश्यक दस्तावेज www.mptenders.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

क्र.	निविदा क्रमांक	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	अमानत राशि
1	2026_UAD_ 485330_1	Supply of ISI marked HAVELLS /PANASONIC /WIPRO/BAJAJ/PHILLIPS/ ANCHOR/OREVA SURYA / Crompton / V Guard / Poly cab Company Make Electric Material as per the list provided in BoQ including all duties and Taxes	50 लाख	5000/-	50000/-

निविदा ऑनलाइन क्रय तथा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 27/02/2026 सांय 6 बजे तक

तकनीकी निविदा खोलने की तिथि - 01/04/2026 प्रातः 10 बजे

आयुक्त
नगर पालिक निगम, खण्डवा

कार्यालय नगर परिषद चित्रकूट जिला- सतना (म0प्र0)

Email-cmochitrakoot@mpurban.gov.in Phone:07670-265329

क्रमांक / E-Tender / वाहन शाखा / 661 / 2026 दिनांक 23.02.2026

-:: ई निविदा आमंत्रण सूचना ::-

नगर परिषद चित्रकूट द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पेयजल व्यवस्था हेतु आटोकट स्ट्राटर पैनल सामग्री क्रय हेतु आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसमें संबंधित कार्य हेतु केन्द्रीकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों / सप्लायर्स / विक्रेता इस निविदा में आइटम रेट दरें प्रस्तुत कर सकते है। निविदा की विस्तृत विवरण वेबसाइट http://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर नं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य की अवधि
01	2026_UAD_ 485769_1	पेयजल व्यवस्था हेतु starter auto cut 10 HP, starter auto cut 20 HP, starter auto cut 15 HP, Havells compny, / अधिकृत / समकक्ष	4.00 लाख	4000.00/-	2000.00/-	2026-27

शर्तें:-

1. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन द्धह्लह्लश्च-//द्वश्चह्लद्गठ्ठस्रद्गह्म्.द्द्श1.द्बठ्ठ की वेबसाइड पर भी दिया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जावेगा ।
2. निविदा प्रपत्र केवल आनलाईन दिनांक 27/02/2026 को 10.30 बजे से 16/03/2026 में 17.30 बजे तक क्रय एवं भरे जा सकतें है ।
3. निविदा में भाग लेने वाली फर्मो का आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र एवं वाणिज्यकर का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र टिन न0 निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी ।
5. संपूर्ण दरे जी.एस.टी. सहित प्रस्तुत की जायेगी ।
6. सामग्री न0प0चित्रकूट के वाहन शाखा के सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर ले जाना एवं पहुंचा कर देनी होगी ।
7. निविदा अविधि किसी भी प्रकार के शासन / प्रशासन के नियम में संशोधन लागू होने की बाध्यता रहेगी।
8. स्तरहीन एवं टूटफूट सामग्री मान्य नही होगी एवं सामग्री की वारंटी देना अनिवार्य होगा।
9. निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर परिषद के समक्ष प्राधिकारी के पास होगा ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद चित्रकूट,जिला- सतना (म0प्र0)